

कार्यालय आदेश

निगम मण्डल के निर्णय संख्या 28/97 की पालना में निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समुद्र व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रहेजा क्यू० बी० ई० जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि०, जिसका कार्यालय 312, तीसरी मंजिल कॉर्पोरेट पार्क, गोपालबाबरी अजमेर रोड जयपुर 302006 के साथ अनुबन्ध किया गया है जो दिनांक 08.08.2018 से 07.08.2019 तक प्रभावी रहेगा इसका पॉलिसी नम्बर 060A000067500000 है।

उक्त योजना के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों, मय दैनिक वेतन भोगी एवं समेकित (Consolidated) वेतन पर लिये गये कर्मचारियों (ठेकदार, एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों एवं बस एजेंटों पर लागू नहीं होगी) के माह अगस्त, 2018 के वेतन विल से 85/- रूपये (पीच्यासी रूपये मात्र) एक मुश्त बीमा प्रीमियम की कटौती अनिवार्य रूप से किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त राशि की कटौती कर अनुसूची, दिनांक 10.09.2018 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय (सयुक्त महाप्रबन्धक वित्त मुख्यालय जयपुर) को प्रेषित करें। किसी कारणवश किसी कर्मचारी का उक्त माह का वेतन नहीं उठाया जाता है तो प्रीमियम राशि नकद जमा करें/अगले माह के वेतन से कटौती कर अनुसूची मुख्यालय में प्रेषित करें।

दिनांक 08.08.2018 के बाद नव-नियुक्त कर्मचारियों की ज्वार्डनिंग रिपोर्ट की प्रति एवं प्रीमियम कटौती अनुसूची इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि बीमा योजना उन पर भी लागू की जा सके।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाकाल के एक वर्ष से कम का समय है, उन सभी पर भी यह योजना लागू होगी। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृति के पश्चात भी उन्हे निर्धारित अवधि दिनांक 07.08.2019 तक बीमा लाभ देय होंगे।

निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की बीमा प्रीमियम राशि 85/- रूपये (पीच्यासी रूपये मात्र) की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे, क्योंकि निगम द्वारा कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के बीमा प्रीमियम का भुगतान रहेजा क्यू० बी० ई० जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० कार्यालय 312, तीसरी मंजिल कॉर्पोरेट पार्क, गोपालबाबरी अजमेर रोड जयपुर 302006 को अग्रिम रूप से कर दिया गया है।

योजना के अन्तर्गत दुर्घटना तिथि या इसके 12 महीने के भीतर दुर्घटना के कारण हुई विभिन्न प्रकार की क्षतियों पर बीमा कम्पनी द्वारा निम्न प्रकार बीमा लाभ देय होंगे :-

क्र०सं०	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	देय बीमा धन (रूपये में)
1.	दुर्घटना में मृत्यु होने / पूर्ण रूपेण स्थाई अपंगता/दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों ऊँखें पूर्ण रूपेण भंग होने पर	3.00 लाख
2.	दुर्घटना के कारण एक ऊँख, एक पैर या एक हाथ पूर्ण रूपेण भंग होने पर	1.50 लाख

		पूरीगत राशि
		प्रतिशत
3.	<p>1. आंशिक विकलांगता/क्षति की दशा में पौँछों की अंगुलियों की हानि सभी दबी अंगुलियास्थि बड़ी दोनों अंगुलियास्थि बड़ी एक अंगुलियास्थि बड़ी के अतिरिक्त यदि प्रत्येक के एक से अधिक हानि हो</p> <p>2. दोनों कानों से श्रवण शक्ति की हानि</p> <p>3. एक कान से श्रवण शक्ति की हानि</p> <p>4. एक हाथ की चार अंगुलियों व अँगूठे की हानि</p> <p>5. चारों अंगुलियों की हानि</p> <p>6. अंगूठे की हानि दोनों अंगुलियास्थि या एक अंगुलियास्थि</p> <p>7. तर्जनी की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थि</p> <p>8. मध्यमा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थि</p> <p>9. अनानिका की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थि</p> <p>10. कनिष्ठा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थि</p> <p>11. करपासिथयों की हानि प्रथम, द्वितीय, द्वितीय (अतिरिक्त) तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम (आतिरिक्त)</p>	20 05 02 01 50 15 40 35 25/10 10/8/4 6/4/2 5/4/2 4/3/2 3/2
	अन्य कोई स्थाई आंशिक अशक्तता,	विकित्सक द्वारा निर्धारित अनुसार प्रतिशत
4	मृत्यु की दशा में शव को लाने ले जाने पर खर्च राशि	दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के शव को दुर्घटना स्थल/अस्पताल से उसके पैतृक नाम तक परिवहन का पुरारण कुल बीमा राशि का दो प्रतिशत अथवा एक हजार पाँच सौ रुपये, जो भी कम होगा देय होगा।

कर्मचारी (बीमित)/कर्मचारी की ओर से हितवद्व व्यक्ति दुर्घटना की सूचना दुर्घटना की तिथि से तीन दिवस में संबंधित नियंत्रण अधिकारी को देना होगा।

इस योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के दुर्घटना/मृत्यु होने पर इकाई की संस्थापन शासा की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सूचना प्राप्त कर अतिशीघ्र दुर्घटना संबंधी सूचना बीमा कम्पनी को अनिवार्य रूप से भिजवाई जावे तथा एक प्रति सयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय जयपुर को भिजवायें तत्पश्चात अविलम्ब एवं प्राथमिकता देते हुए निर्धारित दावा प्रपत्रपूर्ण कर मय संबंधित प्रमाणित दरतावेजों के यथा 1) वेतन विल जिससे की प्रीमियम काटा गया हो कि सत्यापित छायाप्रति 2)एफ.आई.आर., 3) मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, 4) मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट(अगर हुआ है तो), 5) नियुक्ति पत्र

मृत्यु की दशा में सेवा समाप्ति आदेश, ६) घोट प्रतिवेदन, विकलांगता / शक्ति की दशा में प्रतिशत निर्धारण हेतु डॉक्टर द्वारा जारी रिपोर्ट रखाई अपेक्षा प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र जो वीमा कम्पनी द्वारा समय समय पर आवश्यक समझे जावे सलाह कर रहेजा क्यों वी0 ई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि�0, जिसका कार्यालय 312, तीराही मंजिल कॉर्पोरेट पार्क, गोपालबाड़ी अजमेर रोड जयपुर 302006 को गिजवाते हुए पत्र की प्रति सायकत महा प्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय को अनिवार्य रूप से पुष्टांकित की जावे।

इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि दुर्घटना की सूचना एवं प्रपत्र वीमा कम्पनी को अतिशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे दुर्घटना वीमा दावा के निरस्तारण में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।


वित्तीय सलाहकार

प्रमांक- मुख्या/वित्त-भ०-।/18/3663

दिनांक- २१.८.२०१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राज0 परिवहन निगम,गु0 जयपुर।
2. निजी सचिव प्रबन्धक निदेशक, राज0 परिवहन निगम,गु0 जयपुर।
3. समस्त विभागध्यक्ष,रा०प०नि०,जयपुर।
4. समस्त महा प्रबन्धक रारापप निगम,.....जयपुर।
5. समस्त उप महा प्रबन्धक(I T) / कार्यकारी प्रबन्धक () जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धांक/निष्पादन प्रबन्धक /लेखाधिकारी,जयपुर/अजमेर/जौधपुर।
7. जोनल मैनेजर, राजरथान परिवहन निगम,.....जोन।
8. सहा० लेखाधिकारी (भुगतान-) राज0 परिवहन निगम,गु0,जयपुर।
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त/प्रशासन/यातायात/रांचालन),रापनि.....
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


सायकत महा प्रबन्धक (वित्त)